उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–1
संख्याः 107/VII-1/24–ख/2007
देहरादून : दिनांकः 22 जनवरी, 2016

अधिसूचना

औद्योगिक विकास अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–1207/VII-1/24–ख/2007 दिनांक 07 अगस्त, 2015 के द्वारा उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2015 प्रख्यापित की गई, जिसमें अधिसूचना संख्या–1572/VII-1/24–ख/2007 दिनांक 5 अक्टूबर, 2015 एवं अधिसूचना संख्या–1591/VII-1/24–ख/2007 दिनांक 7 अक्टूबर, 2015 के माध्यम से आंशिक संशोधन किये गये। रिट पिटीशन सं० 2855/एम०एस०/2015 सतीश कुमार एवं अन्य बनाम राज्य एवं अन्य, रिट पिटीशन सं० 2686/एम०एस०/2015 कुमांऊ स्टोन क्रेशर एसोसियेशन एवं अन्य बनाम राज्य एवं अन्य एवं रिट पिटीशन सं० 2907/एम०एस०/2015 देवभूमि ईंट भट्टा सोसाइटी बनाम राज्य एवं अन्य में मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.12.2015 के माध्यम से शासन की उक्त अधिसूचना सं० 1270/VII-1/24–ख/2007 दिनांक 7 अगस्त, 2015 को Stayed कर दिया गया है। मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.12.2015 का अंश निम्नवत् है :–

> "After hearing learned counsel for the parties and having gone through the documents brought on record, it is provided, as an interim measure, that the effect and operation of impugned Notification No. 1207/VII-1/24-Kha/2007 dated 7.8.2015 shall remain stayed till the next date of listing"

2. मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित स्थगनादेश दिनांक 10.12.2015 के क्रम में शासन की उक्त अधिसूचना संख्या–1207/VII-1/24–ख/2007 दिनांक 07 अगस्त, 2015, अधिसूचना संख्या–1572/VII-1/24–ख/2007 दिनांक 5 अक्टूबर, 2015 एवं अधिसूचना संख्या–1591/VII-1/24–ख/2007 दिनांक 7 अक्टूबर, 2015 को मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित स्थगनादेश दिनांक 10.12.2015 से निरस्त किये जाने तथा दिनांक 10.12.2015 से शासन की अधिसूचना संख्या–162/VII-II-13/24–ख/2007 दिनांक 18 जनवरी, 2013 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2013 में निर्धारित रायल्टी को लागू किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(शत्रुघ्न सिंह)
मुख्य सचिव

पृष्ठांकन संख्याः 107 (1)/VII-1/24–ख/2007 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल को मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल के संज्ञानार्थ प्रस्तुत करने हेतु।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
5. निजी सचिव, समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को अपर मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
6. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अवैध खनन निरोधक सतर्कता इकाई, उत्तराखण्ड।

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–1
संख्याः 107/VII-1/24–ख/2007
देहरादून : दिनांकः 22 जनवरी, 2016

अधिसूचना

औद्योगिक विकास अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–1207/VII-1/24–ख/2007 दिनांक 07 अगस्त, 2015 के द्वारा उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2015 प्रख्यापित की गई, जिसमें अधिसूचना संख्या–1572/VII-1/24–ख/2007 दिनांक 5 अक्टूबर, 2015 एवं अधिसूचना संख्या–1591/VII-1/24–ख/2007 दिनांक 7 अक्टूबर, 2015 के माध्यम से आंशिक संशोधन किये गये। रिट पिटीशन सं० 2855/एम०एस०/2015 सतीश कुमार एवं अन्य बनाम राज्य एवं अन्य, रिट पिटीशन सं० 2686/एम०एस०/2015 कुमांऊ स्टोन क्रेशर एसोसियेशन एवं अन्य बनाम राज्य एवं अन्य एवं रिट पिटीशन सं० 2907/एम०एस०/2015 देवभूमि ईंट भट्टा सोसाइटी बनाम राज्य एवं अन्य में मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.12.2015 के माध्यम से शासन की उक्त अधिसूचना सं० 1270/VII-1/24–ख/2007 दिनांक 7 अगस्त, 2015 को Stayed कर दिया गया है। मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.12.2015 का अंश निम्नवत् है :–

> "After hearing learned counsel for the parties and having gone through the documents brought on record, it is provided, as an interim measure, that the effect and operation of impugned Notification No. 1207/VII-1/24-Kha/2007 dated 7.8.2015 shall remain stayed till the next date of listing"

2. मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित स्थगनादेश दिनांक 10.12.2015 के क्रम में शासन की उक्त अधिसूचना संख्या–1207/VII-1/24–ख/2007 दिनांक 07 अगस्त, 2015, अधिसूचना संख्या–1572/VII-1/24–ख/2007 दिनांक 5 अक्टूबर, 2015 एवं अधिसूचना संख्या–1591/VII-1/24–ख/2007 दिनांक 7 अक्टूबर, 2015 को मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित स्थगनादेश दिनांक 10.12.2015 से निरस्त किये जाने तथा दिनांक 10.12.2015 से शासन की अधिसूचना संख्या–162/VII-II-13/24–ख/2007 दिनांक 18 जनवरी, 2013 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2013 में निर्धारित रायल्टी को लागू किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(शत्रुघ्न सिंह)
मुख्य सचिव

पृष्ठांकन संख्याः 107 (1)/VII-1/24–ख/2007 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल को मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल के संज्ञानार्थ प्रस्तुत करने हेतु।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
5. निजी सचिव, समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को अपर मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
6. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अवैध खनन निरोधक सतर्कता इकाई, उत्तराखण्ड।